न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2022/50

अपील संख्या – 23/22 एवं 95/23

जगमोहन पुत्र सुन्दर जाति बैरवा निवासी ग्राम पावटा तहसील वजीरपुर

अपीलांट

बनाम

1. छोटी देवी बेवा ठण्डी जाति बैरवा निवासी फरीदावाद हाल ग्राम पावटा तहसील वजीरपुर
2. राजू पुत्र स्व0ठण्डी
3. पिंकी देवी बेवा मोतीलाल
4. गौरव पुत्र स्व0ठण्डी
5. हिमाशु पुत्र स्व0 मोती लाल
6. कु0नैना पुत्री स्व0 मोती लाल नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता मु0 पिंकी देवी बेवा मोतीलाल सभी 2 ता 5 जातियान बैरवा निवासीयान फरीदाबाद

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 143/20 एवं 140/20 निर्णय दिनांक 7.4.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, वजीरपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री कुश मंगल

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 16.4.25

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 7.4.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, वजीरपुर पेश की है ।

अपील संख्या 23/22 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनरथ न्यायालय में सायल/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायल की कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 ग्राम पावटा मे स्थित है जिसके सायल कब्जा काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। सायल एक ही परिवार के सदस्य है सायला संख्या 1 के पुत्र मोती लाल का निधन हो चुका है साललान संख्या 3 ता 6 मृतक मोतीलाल के वारिसान है। हाल जमाबंदी मे सायला संख्या 1 व सायल संख्या 2 एवं मृत मोतीलाल का नाम बतौर खातेदार चला आ रहा है। सायल संख्या 2 सायल संख्या 1 का पुत्र है। गैरसायलान मुठमर्द एवं ताकतवर व झगडालू किस्म के व्यक्ति है। जो सायलान की खातेदारी की भूमि ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 पर विधि विरूद्ध रूप से कब्जा कर प्लाट काट कर दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने पर आमादा है। जबकि गेरसायलान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। गैरसायलान ने ... ही सायलान की भूमि की नाप दिनांक 30.12.20 को सालयान की कृषि भूमि पर आ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तोल करने लगा सायलान ने गैर सायलान से कहा कि तुम हमारी भूमि की नाप तोल क्यो कर रहे हो यह भूमि तो हमारी खातेदारी की है इससे तुम्हारा कोई वास्ता नही है। तो गैरसायलान ने कहा कि हम इस भूमि मे आवासीय प्लाट काटकर दीगर व्यक्तियो को विकय कर कब्जा करवाकर रहेगे। तुम हमारा कुछ नही विगाड सकते। यहॉ से चुपचाप निकल जाओ। बरना किसी का मर्डर हो जावेगा या तुमको किसी संगीन मुकदमे मे फंसा देगे। इसलिए सायलान वहॉ से बचकर अपनी जान बचाकर घर आ गये। गैरसायलान को सायलान की भूमि ख0न0 1115 पर कब्जा कर प्लाट काटने का कोई अधिकार नही है। यदि गेरसायलान द्वारा जबरन प्लाट काटकर दीगर लोगो को रहन बय कर दिया तो सायलान के विधिक अधिकार समाप्त हो जावेगे। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान की खातेदारी की भूमि ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम पावटा तहसील वजीरपुर पर कोई कब्जा नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा उक्त भूमि पर प्लाट काटकर दीगर व्यक्तियो को रहन बय नही करे। सायलान के कब्जे काश्त से किसी प्रकार की मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात की ताफैसला वाद मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील संख्या 95/23 के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 ग्राम पावटा मे से ख0न0 1114 से लगती हुर्ठ 0.40 है0 भूमि जो साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार साबिक ख0न0 1/1/8 का हिस्सा है, के उपयोग उपभोग मे गैरसायलान बाधा उत्पन्न करते है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से साबिक ख0न0 1/1/8 की 40 ऐयर भूमि को रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज किया गया है। परन्तु अपीलांट आज भी उस पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 द्वारा गलत रूप से हुए इन्द्राज की आड मे भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायलय से चाही सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 ग्राम पावटा तहसील वजीरपुर की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को की तलबी नोटिस जारी किये जाने पर जारी नोटिस अदम पते मे प्राप्त होने पर तलबी हेतु अखबार सियाहा कराया गया। [illegible] अखबार सियाहा रेस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता [illegible] पक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Ba[illegible]
Date: 2025.10.10 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील संख्या 23/22

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व तथ्यो एवं कानून पोषणीय नही होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायलय मे इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो/सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे लैण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाया है जो एक आवश्यक पक्षकार है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज जिनसे यह प्रतीत होता है कि रेस्पो0 ने अपनी कृषि भूमि प्लाट काट काट कर बेचान कर दी है । बाबजूद उक्त आदेश पारित करने मे कानूनी भूल की है। रेस्पो0 की अब कोई भूमि वहॉ नही है और रेस्पो0 मय परिवार के शहर रहती है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 ने वादग्रस्त आराजी ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 ग्राम पावटा से संबंधित वाद सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी मे कर रखा है तथा भूमि भी आबादी मे आ जाने से अदालत मातहत को उसे सुने जाने का अधिकार हासिल नही है। जिसकी पुष्टि सिविल न्यायालय गंगापुर के प्रकरण उनवानी छोटी देवी बनाम अमृतलाल वगै0 मे आई कमिश्नर रिपोर्ट से भी होती है। अदालत मातहत ने इस बात पर गौर नही किया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को रेस्पो0 द्वारा बेचान कर देने से उसका उक्त भूमि पर कब्जा नही है ना ही रेस्पो0 ग्राम पावटा मे रहते ही नही है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 अपने प्रार्थना पत्र मे वाद कारण दिनांक 30.12.20 को पैदा होना बताते है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.20 को पेश किया जो स्वतः ही खारिज योग्य है। अदालत मातहत ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र को टी आई मे चलने योग्य नही माना है जबकि ऐसा कोई प्रावधान सीपीसी मे नही है कि वादकारण के अभाव मे टी आई चल सकती हो क्योकि जब दावे का ही अस्तित्व आदेश 7 नियम 11 की सुनवाई मे समाप्त हो सकता है तो टी आई की क्या बिसात रह जाती है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 ने अपनी प्लीडिग के मद संख्या 4 मे अपीलांट पर ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 पर विधि विरूद्व रूप से कब्जा कर आवासीय प्लाट काटकर दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने पर आमादा होने का आरोप लगाया है जबकि रेस्पो0 स्वयं ने विधि विरूद्व रूप से कृषि भूमि को आवासीय प्लाट पर अकृषि भूमि मे परिवर्तित कर दिया है तथा मात्र रिकार्ड के आधार पर बदनियती आ जाने व लोगो को भडकावे मे अपीलांट को परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.4.22 निरस्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 95/ 23

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकि[illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश विधि के [illegible] अदालत मातहत ने इस तथ्या पर गौर नही किया कि अपीलांट/सायल द्वारा [illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1115 रकबा [illegible] है0 ग्राम पावटा मे से ख0न0 1114

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से लगती हुई 0.40 है0 भूमि जो साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार साबिक ख0न0 1/1/8 का हिस्सा है, के उपयोग उपभोग मे गेरसायलान बाधा उत्पन्न न करे ना ही अन्य किसी से करावे व गलत इन्द्राज की आड मे अपीलांट/सायल को उसके कब्जे से बेदखल नही करने ना ही अन्य से करावे तथा आवासीय भूखण्ड काटकर निर्माण नही करे का रिलीफ चाहा गया था जिसके अनुसार या तो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था या खारिज करना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जिससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पो0 ने अपनी कृषि भूमि आवासीय भूखण्ड काटकर बेचान कर दी है तथा अब रेस्पो0 की कोई भूमि ग्राम पावटा मे शेष नही रही है। रेस्पो0 अपने [illegible] सहित फरीदाबाद मे निवास करते है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि रेस्पो0 द्वारा बेचान कर देने से उसका उक्त भूमि पर कब्जा नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

दोनो अपीलो मे पक्षकार समान होने एवं विवादित आराजीयात भी समान होने से दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि उभयपक्षो के मध्य विवाद आराजी ख0न0 1115 रकबा 1.06 है0 ग्राम पावटा को लेकर है। अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा न0 1115 की भूमि जो ख0न0 1114 से लगती हुई है के रकबा 0.40 है0 को साबिक ख0न0 1/1/8 की भूमि बताकर दावा करता है जबकि रेस्पो0 ख0न0 1115 की भूमि को स्वयं की खातेदारी की भूमि होने का दावा करते है। वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं अधिकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य सबूत के उपरान्त वाद पत्र मे तय होना शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे एवं भूमि खुर्द बुर्द नही हो इस विधिक सिद्वान्त के परिपेक्ष्य मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधिक आदेश है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनो आदेश विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किये गये है जिनमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपीले खारिज योग्य है।

अतः दोनो अपीले खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर के प्रकरण संख्या 143/20 एवं 140/20 मे पारित निर्णय दिनांक 7.4.22 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.4.25 को लिखाया [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर